



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 420]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 24, 2019/श्रावण 2, 1941

No. 420]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 24, 2019/SHRAVANA 2, 1941

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2019

**सा.का.नि. 520(अ).**—केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, इस संबंध में, हरियाणा प्रदेश सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर भारत के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एतद्वारा हरियाणा प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना करती है जो कि इस अधिनियम के खंड 3 की धारा (ग) के प्रयोजन से "नियत दिन" होगा।

[सं. ए-11014/5/2015-एटी]

श्रीनिवास आर. कथिकीथाला, अपर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2019

**G.S.R. 520(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 4 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government, on receipt of a request in this behalf from the Government of Haryana, hereby establishes the Haryana Administrative Tribunal with effect from the date of publication of this notification in Gazette of India, which shall be the "appointed day" within the meaning of clause (c) of Section 3 of the said Act.

[No. A-11014/5/2015-AT]

SRINIVAS R. KATIKITHALA, Addl. Secy.